दावा प्रकरण क्रमांक–180/22 राम विलास विरूद्ध दि ओरियंटल इंश्योरेंस

Witness No. 01 for आवेदक साक्ष्य Deposition taken

the ... 06.02.2024...... day of मंगलवार ....Witness's apparent age... 55 वर्ष

States on affirmation ... .शपथपूर्वक ... .. my name is ....रामविलास झुलेकर... ....

Son of ....श्री प्यारी लाल झुलेकर ....Occupation ....जूते का व्यवसाय.....................

Address ग्राम : –हालेकोसा, तहसील व थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव छ०ग० ।

समय : 03.00 बजे

1– मृतक अश्वन झुलेकर मेरा पुत्र था । वर्ष 2019 के दशहरा त्यौहार के समय की घटना है । मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर छुरिया के ह्दय निषाद के फैमिली गाड़ी चार पहिया को चलाने का काम करता था, घटना दिनांक को भी रोज की तरह मेरा पुत्र अश्वन दूसरे की मोटर सायकल मे लिफ्ट लेकर ह्दय निषाद की फैमली गाड़ी को चलाने के लिए छुरिया गया था । घटना दिनांक को मेरा पुत्र अश्वन झुलेकर ह्दय निषाद के घर के फैमली गाड़ी को चलाया और ह्दय निषाद के घर मे ही फैमली गाड़ी को छोड़ दिया था ।

2– उसके बाद मेरा पुत्र अश्वन झुलेकर, रामगोपाल की मोटर सायकल से घर आ रहा था । ग्राम घोघरे के राईस मिल के पास चिचोला की ओर से रेवाडीह का व्यक्ति मोटर सायकल से आकर बस को ओव्हरटेक करते हुए मेरा पुत्र अश्वन झुलेकर को एक्सीडेंट कर दिया । मेरा पुत्र अश्वन झुलेकर को चोट आने के कारण छुरिया के शासकीय अस्पताल ले गये थे । छुरिया शासकीय अस्पताल से मेरा पुत्र अश्वन झुलेकर को जिला अस्पताल राजनांदगांव रिफर कर दिये । जिला अस्पताल राजनांदगांव से मेरा पुत्र अश्वन झुलेकर को तुरंत रायपुर ले जाने के लिए रिफर कर दिये ।

3– मेरे पुत्र अश्वन को रायपुर रिफर करने पर मै स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई मे भर्ती किया था । स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई मे मेरे पुत्र अश्वन करीब 24 घंटे तक भर्ती रहकर ईलाज कराया था, । 24 घंटा में स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई वाले 85,000/– रूपए ले लिये, इसलिए मै अपने पुत्र अश्वन झुलेकर को रायपुर के व्ही०वाय हॉस्पीटल मे ले जाकर भर्ती किया था । रायपुर के व्ही०वाय हॉस्पीटल मे करीब 8–10 दिन तक भर्ती किया उस हॉस्पीटल मे भी ईलाज मे

अत्यधिक खर्च हो रही थी, इसलिए मै अपने पुत्र अश्वन झुलेकर को शासकीय अस्पताल रायपुर मे भर्ती किया था। शासकीय अस्पताल रायपुर (मेकाहारा) मे मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर का ईलाज स्मार्ट कार्ड से हो रही थी। ईलाज के दौरान शासकीय अस्पताल रायपुर (मेकाहारा) में ही मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर की मृत्यु हो गयी।

4– शासकीय अस्पताल रायपुर (मेकाहारा) में ही मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर को घर लाकर अंतिम क्रिया कर्म कर दिया था। मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर की ईलाज मे करीब 5–6 लाख रूपए खर्च हो गया है। मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर छुरिया के ह्दय निषाद की फैमिली वाहन को चलाने का काम करता था। ह्दय निषाद, मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर को रोज 500 रूपए देता था। मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर ही मेरे परिवार का पालन पोषण करता था। मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर का उम्र 26–27 वर्ष का था।

5– मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर की शादी हो गयी थी। मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर के संतान नहीं है। दुर्घटना होने के बाद अश्वन झुलेकर की पत्नी मायके महाराष्ट्र के गांव अमरईयाटोला चली गयी। थाना छुरिया के द्वारा की गई कार्यवाही की दस्तावेज पेश किया हूं। अंतिम प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–1, प्रथम सूचना की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–2, मर्ग इंटीमेशन की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–3, नक्शा पंचायतनामा की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–4, अपराध विवरण/नजरी नक्शा की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–5, संपत्ति जप्ती पत्रक की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–6, डी०के० अस्पताल द्वारा थाना गोलबाजार रायपुर को प्रेषित मृत्यु की सूचना पत्र की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–7, शव परीक्षण के आवेदन और शव परीक्षण की प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–8, से चिन्हित किया गया।

6– मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर के द्वारा चलायी जा रही मोटर सायकल की बीमा पॉलिसी की सत्यप्रतिलिपि को प्र०पी०–9, से चिन्हित किया गया। मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर की सोनोग्राफी फिल्म को प्र०पी०–10, एक्सरे रिपोर्ट को प्र०पी०–11, स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई का सोनोग्राफी को प्र०पी०–12, स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई का लामा समरी को प्र०पी०–13, स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई की ई०सी०जी० रिपोर्ट को प्र०पी०–14, स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई

की एक्सरे रिपोर्ट को प्र०पी०–15, स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई का पैथालॉजी रिपोर्ट को प्र०पी०–16 से 20, से चिन्हित किया गया ।

7– व्ही०वाय फॉर्मेसी रायपुर की मेडिकल बिल को प्र०पी०–21 से 43, व्ही०वाय हॉस्पीटल रायपुर का फाईनल बिल को प्र०पी०–44, से चिन्हित किया गया, जो 5 पन्ने में है, व्ही०वाय हॉस्पीटल रायपुर में एडवांस में जमा की गई पर्ची को प्र०पी०–45 से 48, से चिन्हित किया गया । स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई में एडवांस में जमा की गई बिल को प्र०पी०–49 एवं 50 से चिन्हित किया गया । स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई का ईलाज का बिल को प्र०पी०–51, पीडिया हैल्थ प्राईवेट लिमिटेड मेडिकल भिलाई का बिल को प्र०पी०–52 से 58, खंडेलवाल पॉली क्लिनिक रायपुर का बिल को प्र०पी०–59 एवं 60, से चिन्हित किया गया ।

8– मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर को जिस मोटर सायकल चालक ने एक्सीडेंट किया था, उस चालक का भी उसी एक्सीडेंट मे मृत्यु हो गयी है । मुझे दावा अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जाए ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री डी०के० जैन अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 01

9– यह सही है कि सामने वाले मोटर सायकल चालक के द्वारा ओव्हर टेक करके एक्सीडेंट किया था । यह सही है कि सामने वाले मोटर सायकल चालक की गलती से एक्सीडेंट हुआ है । यह सही है कि सामने वाले मोटर सायकल चालक के स्वामी और सामने वाले मोटर सायकल की बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया हूं ।

10– अश्वन झुलेकर के द्वारा चलाये जा रहे मोटर सायकल का नंबर आज मुझे याद नहीं है । यह सही है कि मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर सावधानी पूर्वक अपने साईड से मोटर सायकल को चलाते हुए घर आ रहा था । यह सही है कि मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर की कोई गलती नहीं है । यह सही है कि मेरे पुत्र अश्वन झुलेकर, रामगोपाल यादव की मोटर सायकल से घर आ रहा था । रामगोपाल यादव ने अपनी मोटर सायकल को मेरे पुत्र अस्वन झुलेकर को घर आने के लिए दिया था ।

11– यह कहना गलत है कि मै अपने पुत्र अश्वन झुलेकर की ड्रायविंग लायसेंस को प्रकरण मे पेश नहीं किया हूं । साक्षी स्वतः कहता है कि ड्रायविंग लायसेंस की फोटो कॉपी को अपने अधिवक्ता को दिया था । यह सही है कि मैने अश्वन झुलेकर की ड्रायविंग लायसेंस की द्वितीय प्रति आर०टीओ० कार्यालय से निकालकर प्रकरण मे पेश नहीं किया हूं ।

12– यह सही है कि अश्वन झुलेकर के पास मोटर सायकल चलाने का ड्रायविंग लायसेंस नहीं था । मै नहीं जानता कि अश्वन झुलेकर की पत्नी सविता मायके जाकर दूसरी शादी कर ली है । यह सही है कि सविता मायके जाकर दूसरी शादी करने के संबंध मे सुना हूं । सविता दादापुर महाराष्ट्र के व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली है, ऐसा सुना हूं । मै नहीं जानता कि दूसरी शादी से सविता से बच्चे उत्पन्न हो गये है ।

13– ह्दय निषाद की चार पहिया वाहन को मेरा पुत्र अश्वन के द्वारा चलाने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया हूं । यह सही है कि मेरा पुत्र अश्वन को गाड़ी चलाने से प्रतिदिन 500/– रूपए मिलने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हूं । यह सही है कि मेरे पुत्र अश्वन की आय के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हूं ।

14– यह कहना गलत है कि स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई मे मेरे पुत्र अश्वन की ईलाज स्मार्ट कार्ड से हुई थी । स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई में 85,000/– रूपए ईलाज में खर्च होने के संबंध मे दस्तावेज पेश नहीं किया हूं । साक्षी स्वतः कहता है कि जो पर्ची मेरे पास थी, उसको मैने पेश किया है । स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई की फाईनल बिल प्रकरण मे पेश नहीं किया हूं । यह कहना गलत है कि स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई की फाईनल बिल इसलिए पेश नही किया हूं, क्योकि उस बिल की राशि अन्य जगह से ले लिया हूं ।

15– मै नहीं बता सकता कि फाईनल बिल प्र०पी०–44 मे डुप्लिकेट बिल लिखा हुआ है । यह सही है कि जितने भी ईलाज के लिए अग्रिम राशि जमा किया था, वह अग्रिम जमा राशि फाईनल बिल मे समाहित है । स्पर्श हॉस्पीटल भिलाई, व्ही०वाय हॉस्पीटल रायपुर, की डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को पेश नही किया हूं ।

16– मै जूता चप्पल बेचने का काम दूसरे के दुकान मे करता हूं । साक्षी स्वतः कहता है कि अब मै चप्पल जूता बेचने का काम बंद कर दिया था, मेरा पुत्र की मृत्यु के बाद पुनः जूता

साक्ष्य पत्रक लगातार–साक्षी रामविलास झुलेकर

चप्पल बेचने का काम चालू कर दिया हूं । वर्तमान मे मै ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं । कुमारी अश्वनी मेरी पुत्री है । अश्वनी की शादी हो गयी थी । ससुराल छोड़कर मेरी पुत्री अश्वनी घर वापस आ गयी है । मेरी पुत्री अश्वनी रोजी मजदूरी का काम करती है । मेरी पुत्री अश्वनी रोजी मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन कर रही है ।

17– सामने वाले मोटर सायकल के चालक का नाम नहीं जानता हूं । यह कहना गलत है कि मै क्षतिपूर्ति पाने के लिए झूठा कथन कर रहा हूं । यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए मेडिकल बिल फर्जी तरीके से तैयार किया हूं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री टी०नागेश राव अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 02

18– मैने अपने पुत्र के द्वारा चलाये जा रहे मोटर सायकल की आर०सी० बुक नहीं देखा हूं । मै नहीं जानता कि मेरे पुत्र के द्वारा चलाये जा रहे मोटर सायकल को रामगोपाल यादव के द्वारा दिया गया था या मेरे पुत्र बिना बताये मोटर सायकल को ले गया था ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री धुर्वेन्द्र साहू अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 03

19– यह सही है कि मुझे निश्चित रूप से जानकारी नहीं है कि सविता मायके जाकर दूसरी शादी की है ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय:– 04.30 बजे

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित ।

सही/–
(थॉमस एक्का)
अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
राजनाँदगांव (छ०ग०)

सही/–
(थॉमस एक्का)
अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
राजनाँदगांव (छ०ग०)